



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 168/XXXVI(3)/2012/24(1)/2012

देहरादून, 08 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012” पर दिनांक 07 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2012]

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2003) का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :-

- | | |
|------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| धारा 29 का
संशोधन | 2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29 की उपधारा (7) के परन्तुक सहित में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष छः माह" रख दिये जायेंगे। |
| निरसन एवं
अपवाद | 3. (1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी। |

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 168/XXXVI(3)/2012/24(1)/2012
Dated Dehradun, June 08, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 04 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 June, 2012.

The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012

[Uttarakhand Act No. 04 of 2012]

An

Act

further to amend the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003 (Uttarakhand Act No. 05 of 2003).

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :-

**Short title and
Commencement**

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012.
- (2) It shall come into force at once.

**Amendment of
section 29**

2. In sub-section (7) of section 29 of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003 with proviso for the words “one year”, the words “one year and six months” shall be substituted.

**Repeal and
savings**

3. (1) The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2012 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

D.P. Gairola,
Principal Secretary.